भाग–II

अध्याय – 5

छत्तीसगढ़ में पंचायती राज

5.1 सांविधिक पंचायतों का प्रादुर्भाव

(i) अविभाजित मध्यप्रदेश में पंचायतों का अस्तित्व कई दशकों से रहा है। मध्यप्रदेश राज्य को अपने घटक क्षेत्रों से यह विरासत में मिला है। इन सभी क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के लिये अपने–अपने अधिनियम रहे हैं। मध्यप्रदेश का प्रथम पंचायत अधिनियम, 1962 में अधिनियमित हुआ मगर इसके घटक क्षेत्रों जिनमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी शामिल है, में तत्कालीन पंचायतें 1965 तक यथावत कार्य करती रहीं। वर्ष 1981 में एक सरलीकृत म0प्र0 पंचायत अधिनियम बनाया गया। बाद में म0 प्र0 पंचायत अधिनियम, 1990 ने इसका स्थान लिया।

(ii) अविभाजित मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य जिसका एक भाग था, को संविधान के 73 वें संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप अधिनियम बनाने वाला देश का प्रथम राज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1993 में नया म0प्र पंचायत राज अधिनियम बना। यद्यपि इस नये अधिनियम में संविधान की 11 वीं अनुसूची को अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के रूप में समाहित किया गया है परन्तु इसके बावजूद 1990 के पुराने अधिनियम के अन्तर्गत पंचायतों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। संविधान का 73 वां संशोधन प्रभावशील होने के बाद भी ग्राम पंचायतों के कार्य और कर्त्तव्य 1981 और 1990 के अधिनियमों के समानुरूप बने रहे। जहां तक जनपद और जिला पंचायतों का सम्बन्ध है, उनके भी कृत्य और दायित्व पहले के ही समान थे। इस बीच मध्यप्रदेश सरकार ने जनपद पंचायतों में विकास खण्डों का विलयन (1995) जिला पंचायतों में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का विलयन (1997), ग्राम पंचायत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना की तैयारी (1996) जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये तथा इन कदमों से पंचायत व्यवस्था मजबूत हुई।

(iii) एक नये राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ ने पंचायती राज की कार्य व्यवस्था, कार्य पद्धति, तथा कार्य पालन नियम संक्रमण कालीन व्यवस्था के रूप में मध्यप्रदेश से ग्रहण किये हैं। यद्यपि छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 में कुछ वैधानिक संशोधन करके छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के रूप में अपनाया गया है, परन्तु राज्य में पंचायतों के कार्य तथा वित्तीय व्यवस्था म0 प्र0 के अनुरूप वैसी ही बनी रही जैसे कि वह नये राज्य के गठन के समय थी।

(iv) जैसा कि बताया जा चुका है छत्तीसगढ़ में गांव स्तर, खण्ड स्तर, और जिला स्तर पर पंचायतें थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 20,126 राजस्व गांवों तथा 54,816 मजरे टोले वाला सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र पंचायतों के अधीन है। इस समय यहां ग्राम स्तर पर 9734 ग्राम पंचायतें, विकासखंड स्तर पर 146 जनपद पंचायतें तथा जिला स्तर पर 18 जिला पंचायतें हैं।

(v) परिशिष्ट 5.1 से स्पष्ट है कि (क) जिलों में ग्राम पंचायतों की संख्या 69 (नारायणपुर) से 702 (रायगढ़) के बीच है; (ख) जिलों में पंचायतों की जनसंख्या 1437 (बीजापुर) तथा 2423 (जांजगीर–चांपा) के मध्य है, जबकि सम्पूर्ण राज्य के लिये ग्राम पंचायत की औसत जनसंख्या 2014 है। (ग) राज्य में आदिवासी ग्राम पंचायतों की संख्या 4506 है जो कि राज्य की कुल ग्राम पंचायतों का 46.29% है। राज्य में जनपद पंचायतों की औसत जनसंख्या 1,34,272 है लेकिन विभिन्न जिलों में जनपद पंचायतों की जनसंख्या का यह औसत भिन्न–भिन्न है। जहां तक जिलों में जनपद पंचायतों की संख्या का सम्बन्ध है, उसमें भी काफी अन्तर है। नारायणपुर में केवल दो जनपद पंचायत हैं तो जांजगीर–चांपा, रायगढ़ और राजनांदगांव में 9–9 हैं। राज्य में कुल 146 विकास खंड हैं इनमें से 85 अर्थात् 58.22% विकास खंड पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले आदिवासी विकास खंड हैं।

(vi) वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के आकार की दृष्टि से राज्य की 80% ग्राम पंचायतों की जन संख्या 2000 से कम है। शेष 5% की जनसंख्या 3,000 या उससे अधिक है। इस जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतों की औसत जनसंख्या 2000 से कुछ ही अधिक है। राज्य में छोटे आकार की ग्रामपंचायतों के बाहुल्य का कारण आदिवासी क्षेत्रों में छोटी–छोटी बस्तियों (मजरा–टोला) में आबादी का विभाजन है।

5.2 ग्राम सभा

(i) छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में राजस्व और वनग्राम दोनों ही के सम्बन्ध में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। किसी भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की मतदाता सूची में पंजीबद्ध सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य हैं। पंचायती राज की भावना को ग्राम पंचायत की सीमा से बाहर लाकर उसे व्यापक अवधारणा प्रदान करने के लिये पंचायत अधिनियम में ग्राम सभा की भूमिका और शक्तियों को पुनर्परिभाषित किया गया है। ग्राम पंचायत की जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिये ग्राम सभाओं को दूरगामी अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों में विशेष शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों यथा पंच/सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हे वापस बुलाने का अधिकार भी शामिल है। देश के कई राज्यों में उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया है।

(ii) छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा को योजना बनाने, हितग्राहियों का चयन करने, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने, ग्राम पंचायत के द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन करने, अंकेक्षण कराने तथा ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों का अनुश्रवण करने का अधिकार है। इसके साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों को उनके द्वारा गांव में कराये जाने वाले कार्यों तथा उन पर व्यय के बारे में ग्राम सभा को सूचना देना आवश्यक है।

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान, पंचायत अधिनियम के अध्याय पंद्रह (क) में 1977 में समाहित किये गये है। इन उपबन्धों में गांव में, बस्तियों के समूह में, पुरवा (हेमलेट) अथवा पुरवा समूहों में, जहां कि कोई समुदाय अपनी सामुदायिक परम्पराओं तथा रिवाजों का पालन करते हुये निवास करता है, ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है।

5.3 पंचायतों में अध्यक्ष के पदों और स्थानों के लिये आरक्षण

(i) पंचायत अधिनियम में संविधान के 73 वे संशोधन अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष के पदों तथा स्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों तथा महिलाओं के लिये आरक्षण करने का प्रावधान है। जिन स्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या 50% से कम है, वहां 25% पद और स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित रखे जाने का छत्तीसगढ़ में कानूनी प्रावधान है। ग्रामीण

समाज के अत्यन्त पिछड़े वर्गों के लिये समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये कानून में यह व्यवस्था है कि जिस पंचायत का अध्यक्ष आरक्षित वर्गों से नहीं हो, वहां उपाध्यक्ष का चुनाव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति तथा अन्य पिछडे वर्गों में से किया जाये।

(ii) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 के द्वारा पंचायत चुनाव से सम्बन्धित वर्तमान वैधानिक प्रावधानों में दूरगामी प्रभाव वाले दो संशोधन किये गये। इसके अनुसार (क) रोटेशन का अर्थ है विभिन्न स्तरों पर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये "दो लगातार पंचायती चुनाव"। (ख) पंचायत के तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों तथा पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये "एक तिहाई" से बढ़ाकर "आधा" किया गया है। ग्रामीण समाज के अत्यन्त पिछडे वर्गों विशेषकर महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये वर्तमान पंचायत अधिनियम में ये दो महत्वपूर्ण संशोधन प्रभावशील किये गये।

5.4 पंचायत चुनाव

(i) पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायतों के लिये प्रत्यक्ष चुनाव और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लिये निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपने अध्यक्ष का चुनाव करने की व्यवस्था है।

(ii) इन तीनों स्तरों की पंचायतों में अध्यक्ष पदों और स्थानों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति के सदस्यों को अवसर दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में उक्त पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिये उनकी अपनी–अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण है बशर्ते कि अनुसूचित जन–जाति के लिये आरक्षित सीटों की संख्या कुल सीटों के 50% से कम नहीं हो। इसके साथ ही सभी स्तरों की पंचायतों में अध्यक्ष के पद अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण की व्यवस्था हैं। यदि जनपद और जिला पंचायत स्तर पर उस अनुपात में अनुसूचित जन–जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके मनोनय के लिये भी प्रावधान किया गया है।

(iii) अध्यक्षों के न्यूनतम 50% पदों के आरक्षण के लिये वर्ष 2008 में पंचायत अधिनियम में संशोधन किया गया।

(iv) लोकसभा एवं राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य और विधायक जिला पंचायत के सदस्य हैं, विधायकगण जनपद पंचायत के भी सदस्य हैं।

(v) ग्राम पंचायत के एक बटा पांच अध्यक्ष प्रति वर्ष रोटेशन के आधार पर जनपद पंचायत के सदस्य बनाये जाते हैं।

(vi) जैसा कि बताया जा चुका है, सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये अध्यक्ष पदों पर रोटेशन के आधार पर दो सत्रों की काल अवधि का प्रावधान करने के लिये पंचायत अधिनियम में संशोधन किया गया है।

2 नवगठित राज्य में राज्य के निर्वाचन आयुक्त की देख–रेख में वर्ष 2005 और वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव कराये गये। वर्ष 2010 के चुनाव में विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के लिये 1,58,628 गैर सरकारी प्रतिनिधि चुने गये। इनमें 17,290 (अर्थात 11%) अनुसूचित जाति और 66,147 (अर्थात 42%) अनुसूचित जन–जाति के सदस्य थे। निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 79,314 अर्थात कुल में से 50% थी।

5.5 अधिकारों व उत्तरदायित्वों का अन्तरण एवं कर्मचारियों का हस्तांतरण

(i) पंचायत अधिनियम में पंचायत क्षेत्र के कृत्यों और प्राधिकारों का स्पष्ट प्रावधान है। प्रत्येक स्तर की पंचायत को विशिष्ट उत्तरदायित्व आबंटित करते समय गौणता के सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया है।

(ii) संविधान के 73 वें संसोधन पूर्व से ही ग्राम पंचायतों को मूलभूत नागरिक सुविधाओं का प्रदाय, विनियमन, कल्याणकारी कार्य तथा अनुरक्षण संबंधी अनेक कार्य सौपे गये। पंचायत अधिनियम में यह परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों का यह कर्तव्य होगा कि वे अधिनियम में दिये सभी कार्य करें जिस सीमा तक वित्तीय संसाधनों के अनुसार संभव हो। ऐसे सभी कार्यों को पंचायतों को 'स्वशासी' कार्य कहा जा सकता है। परन्तु इन कार्यों के संपादन को वित्तीय संसाधन के उपलब्धता के साथ जोड़ दिया गया है। परन्तु ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के बल पर उन कर्तव्यों का

संपादन संभव नहीं होगा। इस स्थिति के कारण राज्य शासन से वित्तीय अंतरण का महत्व बढ़ जाता है।

(iii) ग्राम पंचायतों को सौपे गये वैधानिक कर्तव्यों को मूलभूत सेवाओं के प्रदाय, अनुरक्षण, विनियमन, विकास, योजना बनाना तथा अभिकर्ता कार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मूलभूत नागरिक सेवाओं में स्वच्छता, जल प्रदाय, गाँवो में प्रकाश की व्यवस्था, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव तथा अन्य ग्रामीण अधोसंरचना आते हैं। विनियमन संबंधी कर्तव्यों में दुकानों एवं अन्य विक्रेताओं, जलपान गृहों, बाजारों, मेला आदि का विनियमन सम्मिलित है। इसमें ग्रामों में मकानों का निर्माण व रिहायशी कालोनी का निर्माण भी आते हैं। अशक्तों को सहायता देना, युवा कल्याण, परिवार कल्याण, खेल–कूद को प्रोत्साहित करना, छुआछूत एवं दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों का उन्मूलन एवं अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण ग्राम पंचायत के कल्याण कारी कार्यों के अन्तर्गत आते हैं। अनुरक्षण कार्यों में ग्राम पंचायत के स्वयं की भूमि एवं अन्य अस्तियां तथा एतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण आते हैं। पंचायत वन का संरक्षण और लघु सिंचाई के लिये तालाबों का रख–रखाव एवं उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना आदि ग्राम पंचायत के अन्य कार्य हैं। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के विकास के लिये योजना बनाना तथा समाजिक न्याय की रक्षा करना है। ग्राम पंचायतों के अन्य कर्तव्यों में ऐसे कार्य आते हैं जो राज्य शासन द्वारा अभिकर्ता के रूप में उन्हें सौपे जायें।

(iv) पंचायत अधिनियम में जनपद पंचायत को भी कई कार्य सौपे गये हैं। उन्हें अधिनियम के प्रावधान के अनुसार तथा राज्य सरकार तथा जिला पंचायत के निर्देशानुसार आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना बनाना है। ग्राम पंचायतों से प्राप्त एवं स्वयं की योजनाओं को संकलित रूप में जिला पंचायत को प्रस्तुत करना है। अधिनियम में जो अन्य अनिवार्य कार्य जनपद पंचायतों को सौपे गये हैं उनमें विकास खंड का समग्र विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुधन विकास, मत्स्यद्योग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास एवं कल्याण, आपतकालीन सहायता हेतु अनुदान एवं बाजारों, मेला, प्रदर्शनी आदि का प्रबंधन शामिल है। जनपद पंचायतों को ऐसे कार्य भी संपादित करने हैं जो राज्य एवं केन्द्र सरकार राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में उन्हें सौपे। इन तमाम कार्यों के बावजूद पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की भूमिका स्पष्ट

नहीं है। जनपद पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था में मध्य की ऐसी संस्था बनकर रह गई है जिसका मुख्य कार्य पर्यवेक्षण है।

(v) आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाना, उनका परीक्षण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन करना तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जिला पंचायत का मुख्य वैधानिक कार्य है। इसके अलावा निचले स्तर की पंचायतों के लिये राज्य शासन से प्राप्त राशि का वितरण भी जिला पंचायत के माध्यम से होता है। उन्हें कुछ अभिकर्ता कार्य भी करने होते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के विलय के बाद अभिकरण के सभी कार्य उन्हें हस्तांतरित किये गये हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिकरण के पदेन परियोजना संचालक होते हैं, ऐसी सभी केन्द्रीय एवं राज्य की योजनायें जो पहले अभिकरण के माध्यम से क्रियान्वित होती थी अब जिला पंचायत का उत्तरदायित्व है।

(vi) यद्यपि पंचायत अधिनियम में तीनों स्तरों की पंचायतों के दायित्वों को परिभाषित किया गया है फिर भी जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि जनपद पंचायत की पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी कहां समाप्त होती है एवं कहाँ से जिला पंचायत की शुरू होती है ? **अतः पंचायतों के वर्तमान क्षेत्राधिकारों का वस्तुनिष्ठ एवं सूक्ष्म परीक्षण कर उन्हें पुनर्निर्धारित एवं परिभाषित करने के लिये राज्य शासन को आवश्यक पहल करनी चाहिये जिससे इन संस्थाओं को जो विकास कार्य या योजनाऐं सौंपी जायें उनमें पारदर्शिता जवाबदेही, दक्षता, तथा भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस कार्य में तमिलनाडु राज्य की पंचायत यूनियन, केरल राज्य की ग्राम पंचायतों तथा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्य की जिला पंचायतों के अनुभव का लाभ लिया जा सकता है।**

(vii) वर्ष 1998 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के लिये एक्टीविटी मैपिंग में (Activity Mapping) 27 विषयों से संबंधित कार्य तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनायें शामिल की गई हैं। यद्यपि संविधान के अनुसूचि 11 में 29 विषयों का उल्लेख है। राज्य सरकार के 13 विभागों द्वारा अधिसूचना के जरिये उनके कुछ अधिकार, कार्य एवं कर्मचारियों का हस्तांरण पंचायतों को किया गया है। पंचायतों के कार्यो के अंतरण के संबंध में अध्याय 6 में विस्तृत चर्चा की गई है।

5.6 पेसा (पी.ई.एस.ए.) का विस्तार

राज्य सरकार द्वारा पंचायत (अनूसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पंचायत अधिनियम को केन्द्रीय अधिनियम के समरूप बनाने के लिये राज्य के कानूनों में संशोधन किये गये हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं– अनुसूचित क्षेत्रों में अब लघु वनोपज वहां के लोगों की सम्पत्ति होगी तथा इन लघु वनोपजों पर रायल्टी के रूप में प्राप्त राजस्व राज्य सरकार के कोष में जमा नहीं किया जायेगा। इसी तरह अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को वहां की परम्पराओं और सांस्कृतिक रीति–रिवाजों को ध्यान में रखते हुये शराब बनाने और उसके विक्रय के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। राज्य की कुल 9734 में से 4506 पंचायतें पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र में है।

5.7 जिला योजना समितियां

संविधान के अनुच्छेद 243 जेड0 डी0 के अनुसरण में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 के अधीन राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समितियों का गठन किया है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य सरकार के मंत्री, जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा सम्बन्धित जिले के जिलाध्यक्ष इस समिति के सदस्य हैं। राज्य सरकार ने जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के कार्यकाल, समिति के गठन तथा समिति के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में व्यापक नियम बनाये हैं। जिला योजना समितियों को योजना बनाने, अपनी योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिये संसाधन विकसित करने, विकेन्द्रीकृत योजना व्यवस्था के अन्तर्गत अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की प्रगति देखने, कार्य का मूल्यांकन करने तथा सांसद/विधायक निधि से आबंटित धन राशि की देख भाल करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

5.8 प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन

अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्थापित किया गया है। ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान नामक इस संस्थान की स्थापना वर्ष 2005 में रायपुर में की गई है। जनवरी 2011 में इसे स्वायत्तशासी संस्थान का दर्जा दिया गया। सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, कुरूद और रायगढ़ में इसके पांच प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इसका मुख्य कार्य पंचायतों के कर्मचारियों और निर्वाचित पदाधिकारियों को क्षमता

संवर्धन के लिये आवश्यक प्रशिक्षण देना है। ये क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम पंचायत सचिवों, जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करते हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इन्हें आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के 110 विकास खण्डों में पंचायत संसाधन केन्द्र हैं, जंहा प्रशिक्षण की प्रर्याप्त व्यवस्था है।

◆ ◆ ◆